


भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 असाधारण
 EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
 PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170]
 No. 170]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 1996/फाल्गुन 25, 1917
 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 1996/ PHALGUNA 25, 1917

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1996

का० आ० 199(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का 26) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) की मद (iii) की उप-मद (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सीमेंट के उत्पादन को अंतिम उपयोग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 13011/1/93-सी० २०]
 जे० हरिनारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 1996

S.O. 199(E).—In exercise of the powers conferred by sub-item (4) of item (iii) of clause (c) of sub-section (3) of Section 3 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (26 of 1973), the Central Government hereby specifies production of cement to be an end use for the purposes of the said Act.

[No. 13011/1/93-CA]
 J. HARINARAYAN, Jt. Secy.